समावेशी शिक्षा : अवधारणा, सिद्धान्त एवं नीतियाँ unit-2 paper-10

समावेशी शिक्षा, शिक्षा की वह व्यवस्था है, जिसमें सामान्य तथा शारीरिक रूप से विभिन्न श्रेणी के अक्षम व्यक्ति को सामान्य विद्यार्थी के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों संचालित किए गए हैं, जो समावेशी शिक्षा के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

इस अध्याय में

- *समावेशी शिक्षा : अर्थ व अवधारणा*
- *समावेशी शिक्षा के ललित समूह*
- *विधिक प्रावधान : नीतियाँ एवं अधिनियम*
  - *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986*
  - *प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992*
  - *नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995*
  - *नि:शक्तता पर राष्ट्रीय नीति, 2006*
  - *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005*
  - *असमान शिक्षार्थियों के लिए रियायतें तथा सुविधाएँ: शैक्षिक तथा आर्थिक*
  - *भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992*
  - *सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समावेशी शिक्षा*
  - *यू.एन.सी.आर.पी.डी तथा इसका निहितार्थ*

समावेशी शिक्षा : अर्थ व अवधारणा
(Inclusive Education : Meaning and Concept)

समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्यधारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। इस प्रकार शिक्षा में समावेशीकरण का अर्थ है विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र तथा एक दिव्यांग छात्र तथा विविध प्रकृति के छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त होना। इसमें एक सामान्य छात्र व दिव्यांग छात्र विद्यालय में साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना केवल विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसको समस्त छात्रों के लिए व्यवहार में लाया जाता है।

एक समेकित या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस बात का उचित प्रावधान रहता है कि सभी प्रकार के बालक चाहे वे सामान्य हों या किसी विशिष्टता या अक्षमताओं से युक्त विकलांग बालक, सभी साथ-साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए विद्यालय में उपलब्ध शिक्षा अनुभवों को अच्छे से प्राप्त करें एवं अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाएँ। यह व्यवस्था यह माँग करती है कि अक्षमताओं से युक्त बालकों के प्रति किसी भी प्रकार का अलगाव, द्वेष और नकारात्मक भाव न रखा जाए, बल्कि उनकी विशेष समायोजन व शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी प्रबन्ध किए जाएँ।

Scanned with CamScanner

समावेशी शिक्षा की परिभाषा

स्टेनबैक व स्टेनबैक के अनुसार, "समेकित विद्यालय या व्यवस्था को एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जा सकता है जो सबका होता है, जहाँ सभी अपनाए जाते हैं, जहाँ प्रत्येक अपने विद्यालय, समुदाय व सहपाठियों को सहयोग करता है तथा उनका सहयोग अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है।"

इस प्रकार समेकित या समावेशी शिक्षा निम्न रूप में परिलक्षित होती है

- समेकित शिक्षा उपलब्ध शिक्षा व्यवस्था में विशिष्ट/विकलांग (दिव्यांग) या सामान्य सभी को समान रूप से लाभान्वित होने की बात कहती है।
- इसमें विकलांग (दिव्यांग) या विशिष्ट बालक को सामान्य बालक के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण का अधिकार रहता है।
- समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
- समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा की गतिविधियों में तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
- समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में तथा स्कूल गतिविधियों में माता-पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है।
- समावेशी शिक्षा सम्मान व अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने का भी अवसर प्रदान करती है।
- यह निःशक्त बालकों तथा सामीन्य बालकों के बीच सामंजस्य तथा मित्रता का मार्ग प्रशस्त करती है।

समेकित या समावेशी शिक्षा का महत्त्व

समावेशी शिक्षा का महत्त्व निम्नलिखित है

- छात्र अपने व्यक्तित्व के साथ दूसरे के व्यक्तित्व का भी सम्मान करना सीखता है।
- छात्रों में सहनशीलता, भावनात्मकता तथा सौहार्द्र के गुण उभरते हैं।
- वे दूसरे की शक्तियों तथा कमजोरियों का सम्मान करना सीखते हैं।
- दूसरे बच्चों की सहायता करके छात्र स्वयं में सन्तुष्टि का अनुभव करते ही हैं, साथ ही वे अपनी मित्रता को लम्बे समय तक बनाए भी रखते हैं।
- समावेशित कक्षा विभिन्नता में एकता की परिचायक होती है।
- समावेशित विद्यालयों में छात्र समूह के रूप में सद्भावनापूर्ण वातावरण में एक-दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं।
- मानव संसाधन का सही निर्माण होता है।

समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त

समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं

- छात्रों के साथ किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
- सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होगा।
- स्कूली छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा।
- सभी छात्रों के लिए शिक्षा के समान अवसर होंगे।
- छात्रों के विचार सुने जाएँगे तथा उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।
- छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता उनके लिए लाभदायक होगी, नुकसानदायक नहीं।

Scanned with CamScanner

समावेशी शिक्षा का क्षेत्र

समावेशी शिक्षा समाज के विविध प्रकृति के बालकों की शिक्षा की उपलब्धता एवं समान अवसर उपलब्ध कराने की वकालत करती है अर्थात् अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, कामकाजी के साथ अन्य प्रकृति के बालकों को शिक्षा प्रदान कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इसका क्षेत्र भी वृहत् है। *अतः समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शामिल विविध प्रकृति के बालकों का उल्लेख निम्नलिखित है*

- ***अनुसूचित जाति एवं जनजाति बच्चे*** अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सही नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इस वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है।
- ***दूरवर्ती आदिवासी बच्चे*** कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ शिक्षा के अभाव के कारण आदिवासी बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्र एवं बच्चों की पहचान कर समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है।
- ***पढ़ने योग्य बच्चे*** समाज में ऐसे बच्चे हैं, जिनको पढ़ने की इच्छा होती है, परन्तु घर की आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल कर शिक्षा प्रदान की जाती है।
- ***सड़क पर रहने वाले बच्चे*** गाँव या शहरों में अनाथ बच्चे अथवा शहरों के फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, उसे भी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है।
- ***घुमन्तू श्रमिक के बच्चे*** गाँव या शहरों में विशेषकर जिसका कोई नहीं होता है और उसे घूम-घूमकर काम करना पड़ता है, ऐसे श्रमिक अपने बच्चों को अपने साथ रखते हुए काम करता है। जिससे बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा वांछित हो जाती है। अतः ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है।
- ***गम्भीर बीमारी से पीड़ित बच्चे*** समाज में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जो कैंसर या अन्य घातक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है।
- ***निःशक्त बच्चे*** इसमें विभिन्न प्रकृति के विकलांग बालक को शामिल किया जाता है, जो शारीरिक रूप से कार्य करने में असक्षम होते हैं। ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है।
- ***कामकाजी बच्चे*** समाज में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जो घर की परिस्थितियों के कारण काम या श्रम करने को विवश होते हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है।

इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न कारणों; जैसे—सामाजिक, आर्थिक तथा शारीरिक अक्षमताओं आदि से वंचित बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है। इसे चित्र के रूप में देखा जा सकता है।

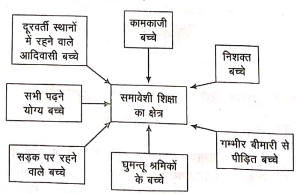

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र का चित्र

Scanned with CamScanner

समावेशी शिक्षा के लक्षित समूह
(Target Group of Individual Education)

(विविधतापूर्ण शिक्षार्थी, हाशिए पर स्थित समूह, अन्यथा अक्षम विद्यार्थी)

लक्षित समूह में शामिल शिक्षार्थी में विविधतापूर्ण शिक्षार्थी, हाशिए पर स्थित शिक्षार्थी तथा अक्षम विद्यार्थी का उल्लेख निम्न प्रकार है

विविधतापूर्ण शिक्षार्थी

विविधतापूर्ण शिक्षार्थी (Diverse Learner's) में मुख्य रूप से निर्धन एवं पिछड़े तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। हालाँकि इसमें शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षार्थी, हाशिए पर स्थित समूह आदि को शामिल किया जाता है। *अत: यहाँ निर्धन एवं पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उल्लेख इस प्रकार है*

निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के शिक्षार्थी

- निर्धन एवं पिछड़े वर्ग शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से वंचित होते हैं
- निर्धनता का तात्पर्य उस स्थिति से है, जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है।
- भोजन, वस्त्र एवं आवास के साथ-साथ शिक्षा भी मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। निर्धन परिवार अपना पेट ही ठीक से नहीं भर पाता, तो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कहाँ से करेगा? निर्धनता का कुप्रभाव इस वर्ग के बच्चों पर पड़ता है।

निर्धन एवं पिछड़े वर्ग की शिक्षा व्यवस्था

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर जोर देता है। समाज के पिछड़े एवं निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं को देखते हुए ही मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया है ताकि भूख को शिक्षा से दूर रहने का बहाना न बनाया जाए एवं अभिभावक भी बच्चे को काम पर भेजने के बदले स्कूल में भेजें।
- पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, *जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं*
  - विद्यालयी शिक्षा की सभी अवस्थाओं के लिए मुफ्त किताबें एवं सामग्री
  - आश्रम, विद्यालयों और सरकारी अनुमोदन प्राप्त छात्रावासों से बच्चों को मुफ्त पोशाके
  - सभी स्तरों पर नि:शुल्क शिक्षा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षार्थी

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही ऐसे समुदाय हैं, जिन्हें ऐतिहासिक कारणों से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा गया। पहले को जाति के आधार पर विभाजित समाज में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण एवं दूसरे को उनके भौगोलिक अलगाव, सांस्कृतिक अन्तरों तथा मुख्यधारा कहे जाने वाले प्रबल समुदाय ने अपने हित के लिए हाशिए पररखा।

Scanned with CamScanner

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की शिक्षा बेहतर न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

– विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के बालकों की कम संख्या
– अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया
– पाठ्यपुस्तकों में उनकी स्थानीय बातों व उदाहरणों का न होना
– बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ा होना
– निर्धनता
– इन वर्गों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार का अभाव

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के शिक्षार्थी हेतु शिक्षा

- सरकार द्वारा ऐसे वर्ग के शिक्षार्थी के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है; जैसे—नि:शुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, आदि।
- आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोला गया है, जिससे शिक्षा की उपलब्धता कराई जा सके।
- इनके लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में विशेष छूट देकर तथा सरकारी नौकरियों में इनके लिए कुछ सीटों को आरक्षित कर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है।
- रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण देने के साथ विशेष आर्थिक उपलब्धता कराई जा रही है।
- आँगनबाड़ियाँ, प्रौढ़शिक्षा केन्द्र तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र इत्यादि अनुसूचित जाति व आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खोलकर शैक्षिक विकास किया जा रहा है।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जा रहा है; *जैसे*—मिड-डे-मील, सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इत्यादि।
- शैक्षणिक आरक्षण के माध्यम से इन्हें विकास की प्रमुख धारा में लाया जा रहा है, जिससे सामाजिक विषमता में कमी आएगी।

हाशिए पर स्थित समूह

हाशिए पर स्थित समूह (Marginalised Group) या वंचित बालक पद का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है, जो किसी एक या अन्य प्रकार के वंचन या नुकसान से इस सीमा तक प्रभावित होते हैं कि जीवन में उनके उचित पालन-पोषण, विकास, समायोजन, शिक्षा तथा प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होती है। बालक इन किसी भी एक या दूसरे प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक प्रकृति के जिन वंचनों से पीड़ित होते हैं, वे अधिकांश किसी एक या अन्य प्रकार की वातावरणीय समस्याओं और हाशिएकरण के फलस्वरूप घटित होते हैं। जिनका सामना उन्हें अपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश तथा विद्यालयी व्यवस्था में करना पड़ता है।

हाशिएकरण के कारण

हाशिएकरण के कारण को विभिन्न रूपों में बाँटकर अध्ययन किया जाता है

1. पर्यावरणीय/परिवेशीय कठिनाइयाँ

पर्यावरणीय/परिवेशीय कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं

- ***माता-पिता की निर्धनता के कारण कठिनाइयाँ*** गरीबी के कारण बच्चे अनेक प्रकार के अभावों एवं वंचनों से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। माँ के गर्भ में आने से लेकर, पैदा होने, बड़े होने तथा परिपक्व होने तक उनकी व्यक्तित्व तथा निष्पत्ति गरीबी से प्रभावित रहती है। ये बच्चे मुख्य धारा से कटे हुए तथा हाशिएकरण से प्रभावित रहते हैं।

Scanned with CamScanner

- ***मलिन बस्तियों में रहने के कारण हाशिएकरण*** औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के फलस्वरूप शहरों में मलिन बस्तियों की बाढ़ आ गई है। इन मलिन बस्तियों में रहने के कारण बच्चों की शिक्षा, समायोजन तथा विकास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। वहाँ का नकारात्मक वातावरण उन्हें व्यसनी, नशाखोर, जुआरी, चोर, भगोड़ा बना देता है। उनकी प्रवृत्ति समाज विरोधी, समस्यात्मक तथा अपराधियों की हो जाती है, जिससे ये हाशिए पर चले जाते हैं।
- ***माता-पिता से पृथक् होने के कारण बच्चों का हाशिएकरण*** कभी-कभी बच्चे अनेक कारणों से अपने माता-पिता से अलग हो जाते हैं; *जैसे*–
  - स्वार्थी तत्त्वों द्वारा चोरी करने के कारण
  - मेले या भीड़भाड़ में गुम हो जाने के कारण
  - माता-पिता या परिवार से किसी दुर्घटना के कारण अलग होना
  - माता या पिता या दोनों की असमय मृत्यु के कारण
  - माता या पिता के व्यवसाय या नौकरी के दूर हो जाने के कारण
  - बच्चों की शारीरिक अक्षमता के कारण उनको छात्रावासों में छोड़ना
  - माता-पिता के तलाक लेने के कारण

इस प्रकार माता-पिता से अलग हुए बच्चे उनके लाड़-प्यार व देखभाल से वंचित रह जाते हैं तथा उनमें पारिवारिक तथा सामाजिक मूल्यों की कमी होती है। इन बच्चों का समायोजन, उनका आत्मविश्वास, उनकी असुरक्षा की भावना उन्हें हाशिए पर डाल देती है।

2. कुछ विशेष पार्श्वीकृत समूहों से सम्बन्धित होने के कारण बच्चों का हाशिएकरण

हमारे देश की सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था में कमी है कि कुछ बच्चे हाशिएकृत समूह में होते हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी शिक्षा तथा समायोजन से काफी वंचित रहना पड़ता है। *ऐसे समूह हैं*

- लिंगभेद के कारण लड़कियों का समूह
- अनुसूचित जनजाति व निम्न जातियों के बालकों का समूह
- अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के बालकों का समूह
- एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले अप्रवासी बालकों का समूह
- एक या अधिक प्रकार की अक्षमता से प्रभावित बालकों का समूह

इन सभी समूहों के बच्चों को काफी भेदभाव, उपेक्षा तथा वंचना का शिकार होना पड़ता है जिसके प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके व्यक्तित्व पर देखने को मिलते हैं।

हाशिएकृत समूह की शिक्षा व्यवस्था

हाशिएकृत समूह की शिक्षा की व्यवस्था करने से पहले आवश्यक है कि छात्रों को पहले मुख्य धारा से जोड़ा जाए तथा उनकी विषमताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अनेक रियायतें देते हुए शिक्षण व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक दृष्टि से परेशान बच्चों की निर्देशन व परामर्श की प्रक्रिया करवाई जानी चाहिए। साथ ही उनके माता-पिता को भी सह-शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। NGOs तथा अन्य स्वयंसेवी समूहों की सहायता ली जा सकती है।

अन्यथा अक्षम शिक्षार्थी

इस श्रेणी में रखे जाने वाले विशेष आवश्यकतायुक्त या अक्षमतायुक्त वे बालक होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टि से बहुत क्षतिग्रस्तता, अक्षमता या कठिनाई देखने को मिलती है। "अन्यथा अक्षमता (Learners with Disabilities) शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी योग्यता तथा शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्धियों के बीच

Scanned with CamScanner

अधिक असमानता या अन्तर देखने को मिलता है।'' इस प्रकार अन्यथा अक्षम बालक एक ऐसी दशा में होता है, जिससे वह अपने अधिगम पथ में अनेक प्रकार की बाधाओं और कठिनाइयों का अनुभव करता है। धीरे-धीरे उसकी समस्या इतनी गम्भीर हो जाती है कि वह किस एक या अधिक संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़ी हुई अति विशिष्ट गहन समस्या का शिकार हो जाता है।

अक्षमता के प्रकार

इन्हें दो वर्गों में बाँटा जा सकता है

1. भाषायी अधिगम अक्षमता या डिस्लेक्सिया

इसका अर्थ होता है शब्द या भाषा का लिखित या मौखिक रूप से सम्बन्धित एक प्रकार की अक्षमता। इसमें एक विकासशील बच्चा अपने दिन प्रतिदिन के अध्ययन, सम्प्रेषण या समायोजन में भाषा या शब्दों का प्रयोग करने में एक बड़ी समस्या पाता है।

भाषायी अधिगम अक्षमता के वर्गीकरण व प्रकार

भाषायी अधिगम अक्षमता को तीन प्रमुख भागों में बाँटा गया है

- ***दृश्यात्मक डिस्लेक्सिया*** इस प्रकार के छात्रों को वर्ण तथा अंक उल्टे दिखाई देते हैं। वह 9 को 6, *M* को *W* तथा 3 को *E* बनाता या पढ़ता है। इसके अतिरिक्त उसे उसमें संकेतों को उनके उपयुक्त क्रम में लिखने में अक्षमता पाई जाती है।
- ***श्रवणात्मक डिस्लेक्सिया*** इसमें पीड़ित बालक अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों की ध्वनि को अच्छी प्रकार सुनने में अपनी असमर्थता के कारण उनका उचित अर्थ समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं।
- ***काइनेस्थेटिक डिस्लेक्सिया*** इससे ग्रस्त बालक पैन या पेन्सिल को ठीक प्रकार से पकड़ने में कठिनाई अनुभव करता है, इसलिए उनके लिए लिखना एक कठिन समस्या है।

2. गणित अधिगम से कठिनाई या डाइस्कैलकुलिया

डाइस्कैलकुलिया से ग्रस्त बालक गणित सम्बन्धी अधिगम अक्षमता से ग्रस्त होते हैं। उनमें संख्या के प्रत्ययों को समझने में कठिनाई होती है, संख्या सम्बन्धी अन्त:बोधात्मक क्षमताओं का अभाव होता है तथा संख्या सम्बन्धी तथ्यों एवं प्रक्रियाओं में समस्या का सामना करना पड़ता है। नवीन अनुसन्धानों के अनुसार ऐसे अक्षम विद्यार्थी अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी से सम्बन्धित मूलभूत तथ्यों, सम्प्रत्ययों, सिद्धान्तों, समस्या समाधान में कठिनाई अनुभव करते हैं। इसके कारण ये गणित से भागने लगते हैं।

अन्यथा अक्षम शिक्षार्थियों की शिक्षा व्यवस्था

इस प्रकार के बालकों के लिए निम्न कार्य किए जा सकते हैं

पठन कठिनाई के लिए

- ध्वनि से सम्बन्धित मार्गदर्शन एवं अभ्यास के अवसर देना
- छात्रों के समक्ष आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण एवं छात्रों द्वारा उसका अनुकरण
- दृश्य-श्रव्य सहायक साधन, कहानी, कथन एवं विवरण की सहायता लेना
- सहपाठी सहअध्ययन तथा मुख्य अवयवों को रेखांकित करना

Scanned with CamScanner

लेखन कठिनाई के लिए

- छात्रों को सही आकार में तथा सीधा लिखने का अभ्यास करवाना
- सुलेख का आदर्श प्रस्तुतीकरण एवं छात्रों द्वारा अनुकरण
- विराम व वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने के लिए पर्याप्त अभ्यास करवाना
- कम्प्यूटर का प्रयोग

मौखिक सम्प्रेषण एवं बोलचाल में कठिनाई के लिए

- छात्रों के सामने बोलचाल का शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत करना।
- भाषा प्रयोगशाला की सहायता लेना
- छात्रों को प्रोत्साहन व बढ़ावा देने के लिए संगीत व लय का प्रयोग

गणित अधिगम में कठिनाई के लिए

- शिक्षण के दौरान बाधात्मक तत्त्वों को कक्षा से हटाना या कम करने की कोशिश करना
- गणित के मूलभूत सिद्धान्तों व अवधारणाओं को समझाने के लिए सम्बद्ध तथा असम्बद्ध उदाहरण प्रस्तुत करना
- सहायक सामग्री एवं मल्टीमीडिया का प्रयोग
- सही शिक्षण मॉडल का प्रयोग करना।

समावेशी शिक्षा के दर्शन का उद्‌विकास

समावेशी शिक्षा के दर्शन के उद्‌विकास को 1970-80 के सन्दर्भ में भारत के सन्दर्भ में देखा जा सकता है। इसमें स्पैस्टिक्स सोसायटी और नॉदर्न इण्डिया (एसएसएनआई) की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखा जा सकता है, जो पिछले 33 वर्षों से विकलांगता और विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसके लिए उन्होंने विकलांगता, जरूरतों को पूरा करने तथा अन्य अक्षम व्यक्तियों के लिए समावेशी रूप में कार्य करते आ रहे हैं। वर्ष 1978 में दिल्ली में विकलांग लोगों को सक्षम बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया। *इस प्रकार से आगे विशेष एकीकृत तथा समावेशी शिक्षा के रूप में देखा जा सकता है*

विशेष शिक्षा व्यवस्था

विशेष शिक्षा व्यवस्था (Special Education Management) को वर्ष 1978-2004 की कालावधि के तहत देखा जा सकता है। इस व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1978 में एसएसएनआई के तत्वावधान में हुई। इसका उद्देश्य क्षमता विकास करना था। इसके अन्तर्गत विभिन्न मूलभूत कमियों को पहचान कर दूर करने का प्रयास किया। इसमें कई उद्देश्यों को समावित किया गया था।

विशेष शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य

विशेष शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- विकलांग बच्चों को सघन गुणवत्ता वाली विशेष शैक्षिक सेवाएँ प्रदान करना।
- 3-18 वर्ष के विकलांग बच्चों में विशेष शिक्षा व्यवस्था के तहत छात्रों में भविष्य के लिए नेतृत्व के गुणों का विकास करना।
- प्रारूप में मस्तिष्क पक्षाघात (मस्तिष्क क्षति की स्थिति) तथा न्यूरोमस्कूलर विकलांगों के सन्दर्भ में केन्द्रित होना।
- दृश्य श्रवण एवं बौद्धिक क्षति वाले छात्रों पर केन्द्रित करने के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े व विकल्प रहित बालकों को शिक्षा से जोड़ना।
- शारीरिक रूप से कमजोर बालकों के अतिरिक्त वंचित बालकों की पहचान कर उसमें गुणवत्ता का विकास करना।

Scanned with CamScanner

विशेष शिक्षा सम्बन्धी क्रियाविधि

- केन्द्र सरकार ने व्यक्तिगत बच्चों को गहन गुणवत्ता हेतु शैक्षिक तथा चिकित्सा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया।
- शिक्षण की धाराएँ तीन रूपों में स्थापित की गई हैं—प्राथमिक, औपचारिक तथा अनौपचारिक।
- वर्ष 1995 में संक्रमण समूह के लिए एक नए प्रभाग की व्यवस्था की गई।
- व्यक्तिगत प्रोग्रामिंग और ध्यान आधारित कक्षाएँ प्रारम्भ की गईं।
- विशेष शिक्षा की गुणवत्ता के जाँच हेतु सर्वेक्षण प्रभाग वर्ष 1995 में प्रारम्भ किया गया, जिसके तहत बच्चों के वैकल्पिक विकास पर भी ध्यान दिया गया।
- इस शिक्षा पद्धति के तहत पुनर्वास सेवा की व्यवस्था की गई तथा विशेष चिकित्सकीय सुविधाओं को भी बढ़ाया गया।

एकीकृत शिक्षा व्यवस्था

एकीकरण से तात्पर्य है—शारीरिक रूप से अपंग तथा सामान्य बालकों को ऐसे शिक्षण संस्थान में शिक्षण का प्रबन्ध करना तथा ऐसे बालकों की आपसी बातचीत तथा मेलजोल की प्रक्रिया की व्यवस्था होना। 'एकीकरण शिक्षा' विशेषकर प्राथमिक स्तर पर, का प्रत्यय अमेरिका में शिक्षा की मुख्य धारा आन्दोलन का प्रतिफल है। इस आन्दोलन के माध्यम से अपंग तथा शारीरिक रूप से बाधित बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सम्मिलित किया तथा बाधित बालकों की विशिष्ट प्रविधियों से सहायता करने की भी व्यवस्था की। इस एकीकृत शिक्षा व्यवस्था के विकास की अवधि को वर्ष 1995-2004 के मध्य में देखा जा सकता है। इसके अन्तर्गत शिक्षण, स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकताओं की पहचान के साथ समाहित कर गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया गया।

एकीकृत शिक्षा का प्रत्यय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में समानता के आधार पर प्राथमिकताएँ निर्धारित की हैं। इसी आधार पर भारत में सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने की संस्तुति की। शिक्षा के समानता के अवसर में कम दूरी पर शिक्षा केन्द्र खोलना, आकर्षक शिक्षण साधन शामिल करना तथा बच्चों को यथासम्भव विद्यालय में रोका जाना शामिल है।

एकीकरण शिक्षा का उद्देश्य

एकीकरण शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट सेवाएँ उपलब्ध करवाना।
- शिक्षाविदों एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रशासकों को सहयोग देना।
- दिव्यांग तथा सामान्य बालकों को एकसमान दैनिक कार्यक्रम का अनुसरण करना।
- बाधित छात्रों को यथासम्भव विद्यालयी कार्यक्रमों में शामिल किया जाना।
- दिव्यांग छात्रों एवं सामान्य छात्रों के साथ खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- सामान्य तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को एक-दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को प्रेरित करना।
- दिव्यांग छात्रों की शिक्षा जनसमुदाय के वातावरण में करने की व्यवस्था करना।
- समस्त छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकारने की शिक्षा देना।
- माता-पिता के विचार को गम्भीरता से लेना।
- छात्रों को व्यक्तिगत कार्यक्रम उपलब्ध कराना।

Scanned with CamScanner